

समाहरणालय, कटिहार

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण
कोषांग, कटिहार।



राजीव रंजन,
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण
कोषांग, कटिहार।



9835699052

Email- adsskatihar@gmail.com

संचिका सं०-/ 2019) पत्रांक-502 सा0सु0 कटिहार, दिनांक-12/12/19
सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,
जिला- कटिहार।

विषय :- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-72 अंतर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखंड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु इनके साथ एडभोकेसी/समीक्षात्मक बैठक का आयोजन करने के संबंध में।

प्रसंग :- अपर आयुक्त निःशक्तता, बिहार पटना के पत्रांक- 1174 दिनांक-30.10.2019
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करन है कि राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार,पटना का कटिहार जिला के अंतर्गत सभी प्रखंडों में दिनांक-17.12.2019 से दिनांक-19.12.2019 तक भ्रमण एवं 20.12.2019 को चलंत न्यायालय कार्यक्रम निर्धारित है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 72 में वर्णित है कि दिव्यांगजनों का पंचायत स्तर पर समूह बनना है। निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है कि आप प्रखंड स्तर पर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी/प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित करेंगे, जो अपने-अपने प्रखंड में पंचायत स्तर पर दिव्यांगजनों का समूह प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव करेंगे। उक्त निर्धारित कार्यक्रममें प्रत्येक प्रखंड स्तर पर 18 वर्ष 40 वर्ष के बीच विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजन (21 प्रकार) में से कम से कम पाँच प्रकार के दिव्यांगजन को साथ एवं पंचायत स्तर के कर्मचारी जैसे पंचायत सचिव, विकास मित्र, टोला सेवक, बी०आर०पी०,सेविका, ए०एन०एम कर्मचारी तथा पंचायत प्रतिनिधि जैसे मुखिया, संरपच, समाजसेवी, दिव्यांगजन कार्यकर्ता आदि के साथ पंचायत स्तर का दिव्यांगजन समूह बनना है। उसी समूह में से प्रत्येक पंचायत का एक-एक दिव्यांगजन एवं पंचायत सचिव के साथ स्तर के बने दिव्यांगजन समूह जिसमें से प्रखंड स्तर से प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मनरेगा पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, सांख्यिकी पदाधिकारी, थाना प्रभारी, अस्पताल प्रभारी, प्रखंड जीविका प्रबंधक, विकास मित्र, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक एवं प्रखंड स्तर के कर्मचारियों पदाधिकारियों के साथ पंचायत के दिव्यांगजन प्रतिनिधि होंगे। प्रखंड स्तर के समूह की बैठक में राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार स्वयं भाग लेंगे। नयाचार पदाधिकारी के रूप में श्री समीरुउल रहमान (सीनियर फिजियोथेरेपी) बुनियाद केन्द्र, कटिहार रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम निम्नप्रकार है:-

नोट :- 1. पंचायत स्तर की आहूत बैठक की फोटोग्राफी करवाना सुनिश्चित करेंगे।

2. समूह के गठन के पश्चात् उसकी प्रति दिनांक-16.12.2019 को जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, कटिहार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

क्र०	तिथि	आगमन/प्रस्थान समय सारणी	कार्यक्रम स्थल	कार्यक्रम
1	17.12.2019	10.00 AM बजे से	कोढ़ा प्रखंड	प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक
2		11.00 AM बजे से	फलका प्रखंड	प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक
3		12.00 PM बजे से	समेली प्रखंड	प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक
4		01.00 PM बजे से	कुर्सेला प्रखंड	प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक
5		02.00 PM बजे से	बरारी प्रखंड	प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक
6		03.00 PM बजे से	कटिहार प्रखंड	प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक

7	18.12.2019	07.00 AM बजे से	हसनगंज प्रखंड	प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक
8		07.45 AM बजे से	डंडखोरा प्रखंड	प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक
9		8.30 AM बजे से	प्राणपुर प्रखंड	प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक
10		09.30 AM बजे से	मनसाही प्रखंड	प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक
11	19.12.2019	07.00 AM बजे से	कदवा	प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक
12		07.45 AM बजे से	आजमनगर	प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक
13		8.30 AM बजे से	बारसोई	प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक
14		09.15 AM बजे से	बलरामपुर	प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक
15		10.15 AM बजे से	मनिहारी	प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक
16		10.45 AM बजे से	अमदावाद	प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक

विश्वासभाजन

सहायक निदेशक,

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग,
कटिहार।

ज्ञापांक— दिनांक—

- प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, कटिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, कटिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- राज्य आयुक्त, निःशक्तता, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला— कटिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेशक,

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग,
कटिहार।